**संख्या-08 /2018 /577/46-3-18-3(22)/2018**

प्रेषक,

**संजय आर. भूसरेड्डी,**

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **गन्ना आयुक्त/निबन्धक**
   सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियाँ,
   उ.प्र., लखनऊ।
2. **प्रबन्ध निदेशक,**
   उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.,
   लखनऊ।
3. **प्रबन्ध निदेशक,**
   उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि.,
   लखनऊ।
4. **प्रबन्ध निदेशक,**
   उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि.,
   लखनऊ।
5. **निदेशक,**
   लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान,
   उ.प्र., लखनऊ।
6. **निदेशक,**
   उ.प्र. गन्ना शोध परिषद,
   शाहजहाँपुर।

**चीनी उद्योग अनुभाग-3** **लखनऊ: दिनांक 26 अप्रैल, 2018**

विषय- स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत (गैर राजकीय) कर्मियों पर लागू इम्प्लाइज प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट, 1952 (ई.पी.एफ./सी.पी.एफ.) के प्राविधानों के अन्तर्गत भविष्य निधि मद में कर्मचारियों से की जाने वाली सांविधिक कटौती की धनराशि को कर्मचारी के खाते में नियमित रूप से जमा करने एवं उसके लेखों का समुचित रख-रखाव सम्बन्धित संस्था के स्तर पर सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ एवं प्रदेश स्थित सहकारी गन्ना समितियों, गन्ना विकास परिषदों, उ.प्र. गन्ना किसान संस्थान, सहकारी चीनी मिलों एवं राज्य चीनी निगम के कर्मचारी गैर राजकीय की श्रेणी में आते हैं तथा इन कर्मचारियों पर इम्प्लाइज प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं। तद्क्रम में कई संगठनों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट स्थापित किये गये हैं अथवा कई संगठनों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भविष्य निधि की धनराशि जमा करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह भविष्य निधि मद में की जाने वाली कटौती के सापेक्ष नियोक्ता का अंशदान सम्बन्धित कर्मचारी के खाते में प्रतिमाह नियमित रूप से जमा किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, जिसके अनुपालन की जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था के नियोक्ता/कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारियों की है।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस सम्बन्ध में शासन तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर, विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं के कतिपय कर्मचारियों के सेवानिवृत होने के उपरान्त भविष्य निधि के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रत्यावेदनों/शिकायतों की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा कर्मचारी को वेतन भुगतान करते समय वेतन बिल में ई.पी.एफ./सी.पी.एफ. के मद में धनराशि की कटौती तो कर ली जाती है, किन्तु कर्मचारी के वेतन से की गयी कटौती एवं नियोक्ता अंशदान को उनके खातों में जमा नहीं किया जा रहा है। सहकारी गन्ना समितियों के संदर्भ में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि स्थायी कर्मचारियों का भविष्य निधि तो गन्ना संघ में स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया जाता है, किन्तु सामयिक कर्मचारियों के भविष्य निधि हेतु न तो ट्रस्ट की स्थापना की गयी है और न ही राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते खोले गये हैं। कर्मचारियों के भविष्य निधि से नियमानुसार की गयी कटौती एवं नियोक्ता अंशदान कर्मचारी के खाते में जमा न होने की स्थिति में, जहां कर्मचारियों को एक ओर सेवानिवृत्ति के समय भविष्य निधि की धनराशि, नियोक्ता के अंशदान सहित, प्राप्त नहीं होती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें भविष्य निधि पर प्राप्त होने वाले ब्याज की भी क्षति होती है। कर्मचारी इम्प्लाइज प्रॉविडेन्ट फण्ड एक्ट, 1952 में निहित व्यवस्था का अनुपालन न किया जाना विधिक रूप से अपराध की श्रेणी में आता है।

3- अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन संस्थाओं के कार्मिकों पर कर्मचारी इम्प्लाइज प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट, 1952 के प्राविधानों के अधीन ई.पी.एफ./सी.पी.एफ. की व्यवस्था लागू/प्रभावी है, के सम्बन्ध में सांविधिक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं कर्मचारियों की भविष्य निधि कटौती एवं नियोक्ता अंशदान के सम्बन्ध में अधोलिखित निर्देशों का अनुपालन कराते हुए नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

(1) कर्मचारियों को वेतन भुगतान करते समय इस तथ्य को भली-भाँति संज्ञानित किया जाय कि वेतन बिल पर भविष्य निधि कटौती किये जाने की स्थिति में की गयी कटौती एवं नियोक्ता अंशदान आगामी 15 दिन के अन्दर निश्चित रूप से जमा करने हेतु संस्था के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

(2) वेतन बिल पर वेतन का भुगतान उतने ही माह का आहरित किया जाय, जितने माह की भविष्य निधि कटौती एवं नियोक्ता अंशदान निर्धारित अवधि में जमा किया जाना सम्भव हो।

(3) वेतन बिल से भविष्य निधि कटौती किये जाने के उपरान्त नियोक्ता अंशदान सहित धनराशि सम्बन्धित कार्मिक के खाते में आगामी 15 दिवस के अन्दर निश्चित रूप से जमा करा दी जाय।

(4) वेतन से भविष्य निधि मद में की गयी कटौती एवं नियोक्ता अंशदान यदि सम्बन्धित संस्था द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट में सम्बन्धित कार्मिक के खाते में जमा किया जाता है, तो उसका विनियोजन राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस प्रकार किया जाय कि, उस पर अधिक से अधिक ब्याज अर्जित हो सके।

(5) यदि किसी संस्था में कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते बैंकों में सेविंग बैंक एकाउन्ट के रूप में खोले गये हों, तो वहां पर ऐसे खातों को सुपर सेविंग एकाउन्ट में परिवर्तित कराते हुए अधिक से अधिक ब्याज अर्जित कराना सुनिश्चित किया जाय।

(6) जिन सहकारी गन्ना समितियों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा सामयिक कर्मचारियों के भविष्य निधि के रख-रखाव हेतु भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना नहीं की गयी है, ऐसी समितियां/संस्थाएं सामयिक कर्मचारियों के भविष्य निधि के रख-रखाव हेतु स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंक, जिनका एन.पी.ए. कम हो और जमा की जाने वाली धनराशि पर आकर्षक ब्याज देने को तैयार हों, में सामयिक कर्मचारियों के भविष्य निधि की धनराशि को जमा कराने हेतु व्यक्तिगत खाते खोलकर नियमानुसार प्रत्येक माह भविष्य निधि की धनराशि नियोक्ता अंशदान सहित, जमा कराना सुनिश्चित करें। स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंक में खाते खोलने एवं आकर्षक ब्याज दर प्राप्त करने हेतु बैंक प्रतिनिधियों से वार्ता के समय सामयिक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाय, जिससे कि उनमें संस्था के प्रति विश्वसनीयता बनी रहे।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) भविष्य निधि ट्रस्ट का लेखा-जोखा इस प्रकार रखा जाय कि प्रत्येक कार्मिक का भविष्य निधि खाता ब्याज सहित अद्यावधिक रहे।

(8) जिन संस्थाओं द्वारा भविष्य निधि कटौती की धनराशि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के यहां जमा करायी जाती है, उन संस्थाओं के नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वेतन बिल से की गयी कटौती एवं नियोक्ता अंशदान आगामी 15 दिवस में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के यहां जमा हो गयी है।

(9) उक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने की स्थिति संज्ञानित होने पर भविष्य निधि एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पेनाल्टी अधिरोपित करते हुए सम्बन्धित संस्था के लेखाकार एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी से वसूल की जायेगी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारी इम्प्लाइज प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट, 1952 में निहित व्यवस्था का अनुपालन एवं उसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासकीय एवं सम्बन्धित संस्था में कार्यरत कार्मिकों के हित में दिये जा रहे उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं अनुश्रवण/समीक्षा भी किये जाने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। तद्क्रम में अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारियों/पर्यवेक्षकीय अधिकारियों को इस आशय के निर्देश निर्गत कर दिया जाय कि उनके स्तर से कर्मचारी भविष्य निधि के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

**(संजय आर. भूसरेड्डी)**
प्रमुख सचिव।

**संख्या-08 /2018 / 577(1)/46-3-18-3(22)/2018, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर गन्ना आयुक्त (विकास), कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
2. सचिव, राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
4. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।
5. चीनी उद्योग अनुभाग-1/2, उ.प्र. शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(नरेश बहादुर)**
विशेष सचिव।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in